FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0227 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/08/2026 12:01 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 04/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 04/06/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 16:20 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/08/2026 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/08/2026 12:01:37 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 200 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KHANIYA BALAJI MANDIR KE PASS, SHAHPURA JILA BHILWARA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHAVEER KUMAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMCHANDRA KUMAWAT

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1991 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ROOPPURA, SHAHPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ROOPPURA, SHAHPURA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SARITA		पति:LATE. MAHENDRA SINGH	1. 20,RAMPURA ROAD,PRATAP VIHAR-A,KALYANPURA SANGANER,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 04.06.2026 को मन् नरपत सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी श्री महावीर कुमावत पिता रामचन्द्र कुमावत उम्र 35 साल निवासी रूपपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की भुवा गट्टु देवी के नाम की सम्पूर्ण जमीन का हक त्याग दिनांक 08.05.2026 को तहसील कार्यालय शाहपुरा में जाकर मेरे पिताजी रामचन्द्र जी व काका रंगलाल के नाम करवाया था, जिसका नामान्तरण खुलवाने के लिए मैंने दिनांक 11.05.2026 को हमारे पटवार हल्का तहनाल की पटवारी मेडम सरिता जी को नामान्तरण खुलवाने सम्बन्धी सभी दस्तावेज दे दिये और आवेदन भी कर दिया। उस समय पटवारी सरिता ने मुझसे 5000/- मांगे, 1000/- उसी समय पटवारी सरिता के कहने पर उसके बताये अनुसार सब्जी वाले को मेरे मोबाईल नम्बर से फोन-पे करवाये व बाकी 4000/- मांगकर परेशान कर रही है। मैं मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हुं। मेरा नामान्तरण सम्बन्धी कार्य पटवारी मेडम के पास पेण्डिग है। मैं एक-दो बार वापस मिला तो पटवारी मेडम ने मुझे कहां की जब तक बाकी के 4000/- नही देगा तब तक तेरा नामान्तरण सम्बन्धी कार्य नही करूगीं। मैं मेरे जायज काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हुं। इसी कारण मैंने दिनांक 04.06.2026 को 1064 पर फोन किया था। जिस पर वार्ता अनुसार मैं कार्यवाही ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आया हॅू। परिवादी से दरियाप्त की गई तो परिवादी ने बताया की मेरी सरीता जी पटवारी मैडम से कोई व्यक्तिगत रंजिश नही है। न ही हमारा कोई लेन देन व पुराना हिसाब शेष है, मैं रिश्वत नही देना चाहता हॅू रिपोर्ट पेश करता हॅू कानूनी कार्यवाही की जावें। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढकर सुनाई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यो की ताईद की तथा उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से समय 02.10 पी.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री शिवराज सिंह कानि 235 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय एक खाली नया मेमोरी कार्ड मंगवाया/निकलवाया जाकर परिवादी श्री महावीर कुमावत को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। परिवादी को रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि अभी आप श्री शिवराज जी को मेरे साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन करवा दुंगा। जिस पर कानि. शिवराज सिंह को परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 04.20 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री शिवराज सिंह कानि ने जरिये फोन बताया कि मैं व परिवादी श्री महावीर कुमावत कार्यालय से रवाना होकर शाहपुरा कॉलेज के पास पहॅुचे, जहां परिवादी श्री महावीर कुमावत को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु कर परिवादी को सिपूर्द कर सरीता, पटवारी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु रवाना किया, कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास आया और डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड चालु हालात मे प्रस्तुत किया, जिसको लेकर मैंने बंद किया। अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं सरीता पटवारी के बताये अनुसार पोस्ट ऑफिस शाहपुरा के आगे समेलिया रोड पर स्थित हनुमान जी के मन्दिर के पास गया। जहां पर सरीता, पटवारी मैडम खडी मिली, जिन्होने मेरे से नामान्तकरण व नाम शुदिकरण करने के लिए दिनांक 11.05.2026 को 1000 रूपये पूर्व मे किसी अन्य के फोन पे मे डलवाये व 4000 रूपये की और मांग की व रिश्वत राशि व्यवस्था होने पर लेकर आने की कहा, जिस पर मैं उनसे बातचीत करके वापस आया हॅु। श्री शिवराज सिंह कानि. 235 ने बताया कि परिवादी को आवश्यक कार्य होने से यही अपने गांव ही रूकना चाहता है। जिस पर शिवराज सिंह कानि ने परिवादी से वार्ता करवायी तो शिवराज सिंह कानि के द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई व परिवादी को रिश्वत राशी कि व्यवस्था कर शीघ्र कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर वही छोड श्री शिवराज कानि को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुरक्षित लेकर कार्यालय मे उपस्थित होने की हिदायत दी गई। समय 06.45 पी.एम पर श्री शिवराज सिंह कानि कार्यालय उपस्थित आया। मन् उप अधीक्षक को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय से परिवादी के साथ मेरी स्वयं की मोटरसाईल से रवाना होकर शाहपुरा कॉलेज के पास पहुचे, परिवादी ने सरीता पटवारी को फोन लगाकर लोकेशन के बारे मे पूछा तो सरीता, पटवारी ने पोस्ट ऑफिस के पास समेलिया रोड पर स्थित हनुमान जी मन्दिर के पास आने की कहां, जिस पर मैने परिवादी श्री महावीर कुमावत को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द कर परिवादी को सरीता पटवारी द्वारा बताये स्थान पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने

हेतु रवाना किया, मैं पोस्ट आफिस के पास खडा हो गया, करीब 5-6 मिनट बाद परिवादी श्री महावीर कुमावत मेरे पास आया, जिसने चालु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको मैंने लेकर बंद किया। अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मेरी वार्ता सरीता पटवारी जी से हो चुकी है। जिन्होने 4000 रूपये की मांग की है। उक्त वार्ता रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, तत्पश्चात मैंने आपसे जरिये दूरभाष वार्ता की और परिवादी ने अपने घर पर निजि कार्य होने कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु असमर्थता जताई, जिस पर आपके निर्देशानुसार परिवादी को वही छोड कर मे शाहपुरा से रवाना होकर कार्यालय मे उपस्थित आया। जिस पर मन् उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो कानि शिवराज सिंह द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी द्वारा रिश्वत राशि लेकर उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही होगी। दिनांक 08.06.2026 समय 10.00 ए.एम पर परिवादी श्री महावीर कुमावत उपस्थित कार्यालय होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया की दिनांक 04.06.2026 को मैं व शिवराज जी आपके कार्यालय से श्री शिवराज जी के साथ उनकी मोटरसाईकिल से रवाना होकर शाहपुरा कॉलेज के पास पहॅुचे, जहां मैंने मेरे मोबाईल नंबर से सरीता जी के मोबाईल नंबर पर कॉल किया तो, सरीता मैडम ने मुझे पोस्ट ऑफिस के पास समेलिया रोड पर स्थित हनुमान जी मन्दिर के पास आने की कहां, जिस पर शिवराज जी ने मुझे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूर्द किया, जिसको मैंने प्राप्त कर मेरे पहने हुए शर्ट की उपर की जेब मे सुरक्षित रख सरीता पटवारी द्वारा बताये स्थान पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु रवाना हुआ। मै हनुमान मन्दिर के पास पहॅुचा, तो सरीता पटवारी रोड पर खडी मिली, जिनको मैने मूल रजिस्ट्रीयां व अन्य दस्तोवज सिपूर्द किये व मेरे काम के संबध मे वार्ता की तो पटवारी मेडम ने कहां की 1000 रूपये तो पहले आ गये, अब 4000 रूपये की और मांग कर रही है। 4000 रूपये रिश्वत राशि लिये बिना मेरा काम नही करेगी। मैं पटवारी मैडम से बात करके 4-5 मिनट बाद ही श्री शिवराज जी के पास आ गया, जिनको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सिपूर्द किया। जिसको शिवराज जी ने बंद किया। मैंने शिवराज जी को बताया कि मेरे काम के संबध मे पटवारी मैडम से वार्ता की तो उन्होने 4000 रूपये की मांग कर रही है। मेरे व पटवारी मैडम के बीच मे जो वार्ता हुई इस डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड है। उसके बाद शिवराज जी ने आपसे मोबाईल पर वार्ता कर मुझे शाहपुरा ही छोडकर शिवराज जी आंफिस के लिये रवाना हो गये थे। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया की मैं रिश्वत राशि 4000 रूपये की व्यवस्था कर लाया हॅू, और मैं आज पटवारी मैडम को रिश्वत राशि दूंगा तो वो मेरे से ग्रहण कर सकते है। समय 10.30 ए.एम पर जरिये दुरभाष तलविदा श्री नेमीचंद सउनि भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम से कार्यवाही ईमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय आये। समय 11.30 ए.एम. पर दो स्वतन्त्र गवाह एवं महिला कानि. की आवश्यकता होने से स्वतन्त्र गवाह हेतु श्रीमान सचिव, नगर विकास न्यास भीलवाडा एवं महिला कॉनि. की तलबी हेतु श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय भीलवाडा के नाम तहरीर दी जाकर श्री मधुसूदन, सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया। समय 12.30 पी.एम पर श्री मधुसूदन सहायक उप निरीक्षक मय दो स्वतन्त्र गवाह व दो महिला कानि. के हाजिर कार्यालय आया। जिनको मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर स्वतन्त्र गवाह से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम 1. श्री रवि त्रिपाठी पुत्र श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी निवासी सीताराम बावडी के पास भोपालगज भीलवाड़ा हाल मुंशी, नगर विकास न्यास भीलवाड़ा 2. श्री जितेश पुत्र श्री श्याम लाल शर्मा निवासी सी-30 चपरासी कॉलोनी भीलवाड़ा पुलिस थाना प्रतापनगर भीलवाड़ा हाल कनिष्ठ सहायक नगर विकास न्यास भीलवाड़ा होना बताया एवं महिला कानिस्टेबल से उनका परिचय पूछा तो एक ने अपना नाम 1. श्रीमति सीता जाट, म.कानि. नम्बर 204 पुलिस लाईन भीलवाड़ा 2. श्रीमति सुमन मीणा, म.कानि. नम्बर 1168, रिजर्व पुलिस लाईन भीलवाड़ा होना बताया। जिन्हे कार्यालय कक्ष मे बिठाया गया। समय 12.40 पी.एम पर परिवादी श्री महावीर कुमावत व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक ने कक्ष मे बुलाकर परिवादी व गवाहान का आपस मे एक दुसरे से परिचय करवाया गया तथा दोनो स्वतन्त्र गवाहान को एसीबी द्वारा की जा रही गोपनीय ट्रैप कार्यवाही मे स्वतन्त्र गवाह रहने के संबध मे सहमति चाही गई तो गवाहान श्री रवि त्रिपाठी व श्री जितेश शर्मा ने अपनी अपनी मौखिक सहमति दी, तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को गवाहान को पढा गया तथा दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात अग्रिम ट्रैप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 01.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री महावीर कुमावत को आरोपिया को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 8 नोट कुल 4,000/- रूपये प्रस्तुत किये, भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, कार्यालय के मालखाना से फिनौफ्थेलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी को एक पॉलिथिन की थैली में आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली उक्त पाउडर युक्त राशि 4,000/-रूपये श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री महावीर कुमावत की पहने हुई लोवर की दांहिनी जेब में रखवाये गये। श्री शिवराज कानि. 235 से एक पारदर्शी साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर भरवाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री विनय प्रताप सिंह, कनिष्ठ सहायक की हाथ की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर

धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार दृष्टान्त देकर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की उपयोगिता एवं उसके महत्व से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त कर लेगा तो यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी। इसके बाद उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर फिकवाया गया तथा जिस सादे कागज पर नोटों को रख कर फिनोफ्थैलीन पाउडर लगवाया उस कागज को एवं पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को जलवाया गया तथा फिनोफ्थैलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उन्हें देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उनके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर ट्रेप पार्टी को देखते हुए ईशारा करे। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली शीशीयां, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री विनय प्रताप सिंह से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई कि यथा संभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी के आस पास रह कर परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। इसके बाद ट्रेप पार्टी के सदस्यो को बुला कर सभी का आपस में परिचय कराया एवं परिवादी के अलावा सभी की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को हिदायत दी जाकर सभी सदस्यों के हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.00 पी.एम पर कार्यालय के मालखाने मे से नया मेमारी कार्ड 64 जीबी निकलवाकर श्री नारायण लाल कानि को सुपुर्द कर बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने से कार्यालय के सरकारी मोबाईल में विडियोग्राफी करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस नरपत सिंह, श्री प्रेमराज कानि, श्री रवि त्रिपाठी, श्री शिवराज कानि, श्रीमति सुमन, महिला कानि मय प्राईवेट वाहन एवं श्री नेमीचंद सउनि, मय श्री जितेश शर्मा, श्री प्रहलाद स.उ.नि., श्री जितेन्द्र कानि, श्री भूपेन्द्र कानि, श्री नारायण लाल कानि व परिवादी श्री महावीर कुमावत मय लेपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो मय विनोद कुमार चालक के तथा श्री शिवराज सिंह कानि को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूर्द कर रवाना शाहपुरा की और हुए। समय 03.25 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुद्वा शाहपुरा बांईपास के पास पहॅुचे। जहां से परिवादी को आरोपिया की लोकशन मालुमात करने हेतु समय 03.16 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल नंबर से आरोपिया के मेाबाईल नंबर पर फोन पर कॉल लगा फोन का स्पीकर ऑन करवा वार्ता करवायी गई तो आरोपिया पटवारी ने परिवादी से कुछ समय पश्चात वार्ता करने हेतु कहां, उक्त वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। परिवादी ने मन् उप अधीक्षक को बताया की मेरी मोटर साईकिल उदयभान गेट शाहपुरा पर खडी है। जिस पर परिवादी को साथ लेकर हमराहीयान के उदयभान गेट के पास पहॅुच, परिवादी को अपनी मोटरसाईकिल लाने हेतु निर्देशित कर कानि शिवराज सिंह को परिवादी के साथ मोटरसाईकिल पर शाहपुरा कॉलेज के पास आने की हिदायत कर रवाना हुए। समय 03.40 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुद्वा शाहपुरा कॉलेज के पास पहॅुचे। आरोपिया के फोन आने के इन्तजार मे सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुए। समय 04.42 पी.एम पर दर्ज रहे कि समय 04.38 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल पर आरोपिया पटवारी द्वारा कॉल कर परिवादी को मिलने हेतु खानिया के बालाजी मन्दिर, समेलिया रोड स्थित मेडीकल के सामने बुलाया। उक्त मोबाईल वार्ता को परिवादी के फोन का लाउड स्पीकर खुलवाकर वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड किया गया। समय 04.47 पी.एम पर श्री शिवराज सिंह कानि से कार्यालय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को चालु करवा परिवादी श्री महावीर कुमावत को सिपूर्द कर आरोपिया पटवारी द्वारा तय स्थान समेलिया रोड स्थित मेडीकल के सामने रिश्वत राशि लेन देन वार्ता करने हेतु स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना कर मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी को देखते हुए अपनी उपस्थित छुपाते हुए पोस्ट आंफिस के आस पास सुरक्षित स्थान पर मुकिम हुए। समय 05.25 पी.एम पर लगभग 38-40 मिनट बाद परिवादी व श्री शिवराज सिंह कानि दोनो परिवादी की मोटरसाईकिल पर वापस आते हुए दिखाई दिये। परिवादी की मोटर साईकिल के पीछे-पीछे मन् उप अधीक्षक मय हमराहीयान के रवाना हुए तो परिवादी की मोटरसाईकिल एल.आई.सी. आंफिस शाहपुरा की पास की गली मे आकर रूकी, परिवादी ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं पटवारी मैडम द्वारा बताये गये स्थान समेलिया रोड स्थित मेडीकल के सामने पहॅुचा, मैंने पटवारी मैडम का काफी इन्तजार किया, मगर पटवारी मैडम वहां पर नही आयी और ना ही उन्होने मेरा फोन उठाया। जब मैं मेडीकल के बाहर खडा था, तब मेरे फोन पर मेरी मासीजी के लडके मिश्रीलाल का कॉल आया, "उसने मुझे कहां कि मैडम तेरे से पैसे नही लेगी, तू घर आ जाना, यही बैठकर बात करेगे " जिस पर मैं पटवारी मैडम द्वारा बताये गये स्थान से रवाना होकर वही पास मे ही खडे श्री शिवराज जी के पास आया और डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड उनको दिया। जिसको शिवराज जी ने बंद किया। हम दोनो वहां से रवाना होकर

आपके पास आये है। समय 05.45 पी.एम पर परिवादी द्वारा बताया गया मुझे घर पर आवश्यक कार्य है और मैं यही रूकना चाहता हॅु। जिस पर स्वतन्त्र गवाह की मौजुदगी में परिवादी के लोवर की जेब मे रखी फिनोफ्थैलीन पाउडरयुक्त 4000 रूपये रिश्वत राशि को श्री शिवराज कानि से बाहर निकलवा कर एक कागज मे लपेटकर लिफाफे मे रखकर श्री शिवराज कानि के पास सुरक्षित रखवायी गई। परिवादी को हिदायत दी गई, जब भी रिश्वत राशि लेने हेतु बुलाता है या वार्ता करती तो मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचना दे, परिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत दी जाकर रूखस्त किया गया। समय 06.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिए रवाना हो एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय पर पहॅुच, श्री शिवराज सिंह के पास रखी फिनोफ्थैलीन पाउडरयुक्त रिश्वत राशि 4000 रूपये के लिफाफे को मालखाना प्रभारी श्री प्रहलाद पारीक स.उ.नि. को मालखाना मे रखने हेतु सुरक्षित सम्भलाये गये। समय 08.00 पी.एम पर दोनो स्वतन्त्र गवाह व दोनो महिला कानि. को गोपनीयता बरतने की हिदायत की जाकर रूखस्त किया गया। दिनांक 15.06.2026 समय 12.30 पी.एम पर परिवादी श्री महावीर कुमावत उपस्थित कार्यालय होकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैंने अपने स्तर पर सरीता, पटवारी की पटवार हल्का व तहसील कार्यालय शाहपुरा मे जानकारी की तो पटवारी मैडम सरीता जी मुझे नजर नही आयी है और ना ही उन्होने मुझे शेष रिश्वत राशि 4000 रूपये लेने के लिये दुबारा फोन भी नही किया है। मैंने अपने स्तर पर पटवारी जी के बारे मे मालुमात की तो मेरी जानकारी मे आया कि पटवारी छुटटी पर चली गई है। मुझे लगता है कि सरीता, पटवारी को एसीबी कार्यवाही की शंका हो गई है। इसलिए अब वो मेरे से शेष रही रिश्वत राशि 4000 रूपये भी ग्रहण नही करेगी। इस संबंध में परिवादी श्री महावीर कुमावत ने एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि पूर्व सूचना सुदा दोनो गवाह भी कार्यालय मे उपस्थित हो गये है, जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को लिखित प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करवाये जाकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। समय 01.15 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकाल कर दिनांक 04.06.2026 को परिवादी श्री महावीर कुमावत व आरोपिया सरीता, पटवारी, पटवार हल्का तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ता के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर सुना गया, जिसमें परिवादी श्री महावीर कुमावत ने एक अपनी आवाज होना तथा दुसरी आवज आरोपिया सरीता, पटवारी की आवाज होना पहचान की। रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-बशब्द सुन-सुनकर श्री शिवराज सिंह कानि 235 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री शिवराज सिंह कानि 235 से कनेक्ट करा वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी स्टील बॉडी के तैयार किये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-1 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-2 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सभी सिल्ड् पैकेट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क M दिया गया। फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील अंकित की गई। समय 02.00 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय अलमारी में सुरक्षित रखे गये डिजीटल वॉइस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकाल कर दिनांक 08.06.2026 को परिवादी श्री महावीर कुमावत व आरोपिया सरीता, पटवारी, पटवार हल्का तहनाल, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाडा के मध्य हुई मोबाईल फोन व अन्य रिश्वत राशि लेन देन प्रयास वार्ताऐ जो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है। उक्त रिकॉर्ड वार्ताओ के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्ताओ को बारी-बारी से चलाकर सुना गया, जिसमें परिवादी श्री महावीर कुमावत ने एक अपनी आवाज होना तथा दुसरी आवाज आरोपिया सरीता, पटवारी की होना पहचान की, रिकॉर्ड वार्ताओ को कार्यालय के लेपटॉप से फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-ब शब्द सुन-सुनकर श्री शिवराज कानि 235 से तैयार करवाई गई। उक्त डेटा/वाईस रिकॉर्डिंग को सरकारी लेपटॉप में संधारित लाईसेन्स एन्टीवायरस से स्केन करवाया गया। स्केनिंग के पश्चात् उक्त रिकॉर्डिंग में किसी भी प्रकार का कोई वायरस/मॉलवेयर होना नही पाया गया। हेसवेल्यू की प्रिन्ट निकलवाई जाकर उस पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे रिकॉर्ड वार्ता को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री शिवराज सिंह कानि 235 से कनेक्ट करा वार्ता के कुल तीन पेनड्राईव 64 जी.बी. सेनडिस्क कम्पनी स्टील बॉडी के तैयार किये गये। जिसमें से एक पेनड्राईव न्यायालय हेतु, एक पेनड्राईव आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु तैयार किये गये तथा न्यायालय हेतु पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क

PD-3 दिया गया, आरोपी के पेनड्राईव को पेनड्राईव के उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क PD-4 दिया गया तथा अनुसंधान अधिकारी हेतु पेनड्राईव को उसी कवर में रखकर एक लिफाफे में रखकर अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। सभी सिल्ड् पैकेट पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये तथा वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को उसी कवर में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड मोहर कर मार्क M-1 दिया गया। फर्द ट्रान्सस्किप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं शिल्ड आर्टिकल पैकिट पर नमूना ब्रास सील अंकित की गई। चुंकि परिवादी के बताये अनुसार अब ट्रैप कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। अतः मालखाना प्रभारी श्री प्रहलाद कुमार पारीक से रिश्वत राशि 4,000/- मालखाना मे से निकलवा कर परिवादी श्री महावीर को नियमानुसार सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की गई। समय 04.00 पी.एम पर मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट, रिश्वत राशि लेन देन प्रयास वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट व शिल्ड आर्टिकलों प्रयुक्त नमूना ब्रास सील अंकित की गई थी, बाद कार्यवाही उक्त ब्रांस सील की फर्द नाशानी व नमूना शील मुर्तिब की गई एवं उक्त ब्रास सील का गवाहान व परिवादी को अवलोकन करवाया जाकर कार्यालय परिसर में पत्थर से तोडकर नष्ट की गई तथा फर्द पर सभी गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये, बाद कार्यवाही परिवादी व गवाहान को रूखसत किया गया। समय 04.20 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता से संबधित शिल्डशुदा आर्टीकल मार्क M, M-1, PD-1, PD-2, PD-3, PD-4 को श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेन देन प्रयास वार्ताऐ की ट्रांसक्प्टि, पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम 2023 के प्रमाण पत्र शामिल पत्रावली किया गया।उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं संपूर्ण कार्यवाही से आरोपिया सरीता, पटवारी, पटवार, हल्का रूपपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा द्वारा एक लोक सेवक होते हुए परिवादी श्री महावीर कुमावत की भुवाजी श्रीमति गट्टु देवी के नाम की सम्पुर्ण भूमि का हक त्याग तहसील कार्यालय शाहपुरा में परिवादी के पिता श्री रामचन्द्र जी व काका श्री रंगलाल के नाम दिनांक 08.05.2026 को करवाया था, उक्त भूमि का नामान्तरण खुलवाने के लिए परिवादी दिनांक 11.05.2026 को सरिता, पटवारी से मिला व नामान्तरण खुलवाने हेतु आवेदन करने हेतु नामान्तकरण से संबधित दस्तावेज प्रस्तुत किये। जिस पर सरीता, पटवारी द्वारा नामान्तकरण खोलने की एवंज में 5000/- रिश्वत राशि की मांग की गई और 1000/- उसी समय पोस्ट आंफिस शाहपुरा के सामने लगे सब्जी वाले के नंबर पर फोन-पे करवाये व 4000/- की और मांग की गई। जिस पर परिवादी द्वारा ब्यूरो कार्यालय भीलवाडा द्वितीय में दिनांक 04.06.2026 को उपस्थित होकर सरीता, पटवारी के विरूद्व 4000/- रूपये रिश्वत राशि मांग करने एंव 1000 रूपये पूर्व मे प्राप्त करने के सम्बन्ध में लिखित रिपोर्ट पेश की गई थी, जिस पर दिनांक 04.06.2026 को परिवादी श्री महावीर कुमावत को आरोपिया पटवारी के पास भिजवाकर रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता आरोपिया पटवारी द्वारा 1000 रूपये मे पूर्व प्राप्त करना एंव 4000 रूपये रिश्वत राशि और लेने पर सहमत हुई। इसके उपरान्त नियमानुसार ब्यूरो द्वारा दिनांक 08.06.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी को रिश्वत राशि लेन देन वार्ता करने एंव रिश्वत राशि देने हेतु आरोपिया पटवारी के पास भिजवाया गया, लेकिन सरीता, पटवारी को एसीबी कार्यवाही की शंका होने से ट्रेप कार्यवाही नही हो सकी। इस प्रकार सरीता, पटवारी, पटवार, हल्का रूपपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित करना पाया गया। अतः आरोपिया सरीता पत्नि स्व. श्री महेन्द्र सिंह, निवासी प्लांट संख्या 20, प्रताप विहार-ए, रामपुरा रोड, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर हाल पटवारी, पटवार, हल्का रूपपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के विरूद्व जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की सेवामें सादर प्रेषित है।
भवदीय(नरपत सिंह चारण) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह चारण, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सरीता पत्नि स्व. श्री महेन्द्र सिंह, निवासी प्लांट संख्या 20, प्रताप विहार-ए, रामपुरा रोड, कल्याणपुरा, सांगानेर, जयपुर हाल पटवारी, पटवार, हल्का रूपपुरा, तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री पारसमल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 159 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1323-26 दिनांक 10.08.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाडा 2- जिला कलक्टर, भीलवाडा 3- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-द्वितीय। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** parasmal panwar **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/08/2026 12:11:35

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)